प्रेस वज्ञप्ति

सराहनीय कार्य, जनपद भदोही

दिनांक-11.08.2026

◆"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चन्हित अपराधों में दोषी अ भयुक्तों के वरुद्ध अ धकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा वशेष अ भयान

◆एक राय होकर मारपीट, अपमान करने व गाली-गलौज, आपरा धक धमकी और जातिगत उत्पीड़न करने के 04 दो षयों को मा0 न्यायालय द्वारा _02 वर्ष 06 माह का कारावास व प्रत्येक को ₹12,000/- अर्थदंड_ से कया गया दं डत

◆वैज्ञानिक ववेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पु लस व लोक अ भयोजक से पहले की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को मली सजा

घटना का सं क्षप्त ववरण:-

थाना औराई, जनपद भदोही क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नटवां में दिनांक 07.10.2020 को जमीनी ववाद को लेकर पी ड़त शवचंद चमार, पुत्र स्व० पुदईराम, निवासी ग्राम नटवां, थाना औराई, जनपद भदोही से एक राय होकर मारपीट, अपमान करने व गाली-गलौज, आपरा धक धमकी और जातिगत उत्पीड़न करने वाले अ भयुक्तगण रामनाथ यादव, राजकुमार यादव, राजनाथ यादव, केशव यादव, निवासीगण ग्राम नटवा, थाना औराई, जनपद भदोही के वरूद्व थाना औराई, जनपद-भदोही द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-247/2020, धारा-323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा-3 (1) द, ध एस.सी./एस.टी. एक्ट, के अन्तर्गत वैज्ञानिक ववेचना व प्रभावी साक्ष्य संकलन करते हुए के आरो पयों के वरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रे षत कया गया।

श्रीमान् पु लस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम में एवं *श्री अ भनव त्यागी,* पु लस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में *"ऑपरेशन कन्विक्शन"* के तहत चन्हित अपराधों में दोषी अ भयुक्तों के वरुद्ध मा0 न्यायालय से अ धकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पु लस द्वारा वशेष अ भयान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अ भयोग में स्थानीय पु लस, मॉनिटरिंग सेल व वशेष लोक अ भयोजक श्री अनिल शुक्ला की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप डॉ० अवनीश कुमार, वशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.) एक्ट भदोही द्वारा दोषी अ भयुक्तगण 1. रामनाथ यादव, उम्र 70 वर्ष, पुत्र चखुरी यादव, 2. राजकुमार यादव, उम्र 50 वर्ष, पुत्र वरजू यादव, 3. राजनाथ यादव, उम्र 55 वर्ष, पुत्र छटंकी यादव, 4. केशव यादव, उम्र 46 वर्ष, पुत्र छटंकी यादव, निवासीगण ग्राम नटवा, थाना औराई, जनपद भदोही को आरो पत अपराध अन्तर्गत धारा-323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1) द, ध एस.सी./एस.टी. एक्ट, में

*_02 वर्ष 06 माह का कारावास व प्रत्येक को ₹12,000/- अर्थदंड_* से दं डत कया गया। अर्थ दंड न अदा करने की स्थिति में 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।